झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा **पंचदश (बजट) सत्र**

संख्या-01 **गुरूवार, दिनांक-17 जनवरी, 2019 ई०।**

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.48 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रारंभिक वक्तव्य:-

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र के अवसर पर प्रथम सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए शुभकामनायें दी गयी और उन्होंने सदन को संसूचित किया कि कुल-15 कार्य दिवसों वाले वर्त्तमान सत्र में माननीय राज्यपाल महोदया भारतीय संविधान के अनुच्छेद-176 में निहित प्रावधानों के अधीन अपना अभिभाषण देंगी और इसी सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष-2019-20 का बजट भी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों को अपनी बातें रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा, अतएव आसन द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि माननीय सदस्यगण इसका सार्थक उपयोग करेंगे। मकर संक्रांति, टुसु, पोंगल और लोहड़ी जैसे महान् पर्वो के सुअवसर पर प्रारम्भ हुए इस बजट सत्र के सदुपयोग की भी उन्होंने अपेक्षा की। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा दिये जाने वाले अभिभाषण के दौरान माननीय सदस्यों को सदन में शांत, संयत और गम्भीर रहकर इसे शालीनतापूर्वक सुनने की भी अपील की। इसके उपरांत आसन द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया से प्राप्त निम्न संदेश को पढ़ा गया-

"भारत का संविधान के अनुच्छेद-176 के खण्ड(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, द्रौपदी मुर्मू, झारखण्ड की राज्यपाल इसके द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक-17 जनवरी, 2019 को 11.30 बजे पूर्वा० में सम्बोधित करना चाहती हूँ और इस हेतु लेनिन हॉल, एच.ई.सी., राँची स्थित झारखण्ड विधान सभा वेश्म में सदस्यों की उपस्थिति चाहती हूँ।"

राँची, दिनांक-04 जनवरी, 2019 (ई०) ह०/-द्रौपदी मुर्मू

झारखण्ड की राज्यपाल

इसके उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदया की अगवानी के लिए सदन से कुछ क्षण के लिए बाहर गये और इस दौरान सदन में माननीय सदस्यों से शांति बनाये रखने हेतु आग्रह किया।

इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदया को लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय सदन में आये।

(राष्ट्रीय धुन)

तदुपरांत आसन के निदेश पर सभा सचिव द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया से सदन में अपना अभिभाषण दिये जाने हेतु आग्रह किया गया।

ह०/पू०उ०

2.राज्यपाल महोदया का अभिभाषण:-

सभा सचिव द्वारा राज्यपाल महोदया से अभिभाषण दिये जाने हेतु अनुरोध किये जाने के उपरांत राज्यपाल महोदया ने सर्वप्रथम चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों का पंचदश (बजट) सत्र में हार्दिक अभिनंदन किया और झारखण्ड राज्य के लिये सुख-समृद्धि और सम्पन्नता की कामना करते हुए सरकार की उपलब्धियों को **''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया''** के साथ गिनाया।

सरकार की सार्थक एवं विकासपरक नीतियों, भ्रष्टाचार मुक्त झारखण्ड के निर्माण, अपराधमुक्त, भयमुक्त एवं अन्यायमुक्त वातावरण का सृजन, उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा, औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशीलता, पावर सिस्टम प्रोजेक्ट का विकास, महिलाओं के उत्थान, सम्पूर्ण गाँवों में शौचालय की व्यवस्था, सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ-साथ राज्यहित में ली गयी कुल-105 योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अपने अभिभाषण में तथ्यों को समाहित किया गया।

(इस क्रम में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्यों द्वारा सरकार के विरोध में शोरगुल किया जाने लगा।)

अभिभाषण समाप्त होने पर सभा सचिव द्वारा सदन को आसन के निदेश से इसकी सूचना दी गयी।

(राष्ट्रीय धुन)

इसके पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया को ससम्मान विदा किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के संदर्भ में धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों की सूचना आज दिनांक-17 जनवरी, 2019 के 3.00 बजे अप० तक लिये जाने की घोषणा आसन द्वारा की गयी। सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक दल की ओर से विधायक दल के नेता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई एक सदस्य इस संशोधन की सूचना दे सकेंगे, के संदर्भ में भी सदन को आसन द्वारा अवगत कराते हुए उक्त नियमन के अनुपालन हेतु अनुरोध किया।

3.सभापति का मनोनयन:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-10 (1) के अधीन निम्नांकित माननीय सदस्यों को चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा में पंचदश (बजट) सत्र के लिए सभापति के रूप में मनोनीत करने की घोषणा आसन द्वारा की गयी-

श्री स्टीफेन मराण्डी,	स० वि० स०
श्री अशोक कुमार,	स० वि० स०
श्री फूलचन्द मण्डल,	स० वि० स०
श्री आलमगीर आलम,	स० वि० स०
श्रीमती गीता कोड़ा,	स० वि० स०।

क्र० पृ०उ०

4.समिति का गठनः-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224 (1) के अधीन चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र के लिए कार्यमंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से किये जाने की घोषणा आसन द्वारा की गयी-

श्री दिनेश उरांव	अध्यक्ष	सभापति,
श्री रघुवर दास	मुख्यमंत्री	सदस्य,
श्री हेमन्त सोरेन	नेता, प्रतिपक्ष	सदस्य,
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा	संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य,
श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी	मंत्री	सदस्य,
श्री आलमगीर आलम	स० वि० स०	सदस्य,
श्री प्रदीप यादव	स० वि० स०	सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	मंत्री,
श्री सरयू राय,	मंत्री,
श्री राधाकृष्ण किशोर	मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल,
श्री नलिन सोरेन	मुख्य सचेतक, प्रतिपक्ष,
श्री स्टीफेन मराण्डी	स० वि० स०,
श्री सुखदेव भगत	स० वि० स०,
श्री रबीन्द्रनाथ महतो	स० वि० स०,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	स० वि० स०,
श्री बिरंची नारायण	स० वि० स०,
श्री अरूप चटर्जी	स० वि० स०,
श्रीमती गीता कोड़ा	स० वि० स०,
श्री राज कुमार यादव	स० वि० स०,
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	स० वि० स०,
श्री अनंत कुमार ओझा	स० वि० स०।

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। सभा की कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद उक्त समिति की बैठक आज दिनांक-17.01.2019 को अध्यक्षीय कार्यालय में आहूत होने की सूचना आसन द्वारा समिति के माननीय सदस्यों को देते हुए उनसे उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया।

5.औपचारिक कार्यः-

झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयक की विवरणी सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई जिसपर माननीय राज्यपाल महोदया ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के चतुर्दश (शीतकालीन) सत्र की समाप्ति के उपरांत प्राप्त हुई हैः

माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अनुमत विधेयक की विवरणी-

क्रमांक	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2018	04.01.2019	01/2019

क्र०पृ०उ०

6. कृत-कार्रवाई प्रतिवेदन का उपस्थापनः-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-244(2) के अधीन चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के चतुर्दश सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर उपस्थापित की गयी।

7. शोक प्रकाशः-

विगत सत्र से अबतक की अवधि में अनेक महत्त्वपूर्ण राजनेता, साहित्यकार, पत्रकार और शायर हमारे बीच से रुखसत हो गये जिनमें पूर्व सांसद जय नारायण निषाद, पूर्व विधायक दीनानाथ पाण्डेय, विधान पार्षद् सूरजनन्दन प्रसाद, पूर्व विधायक सच्चिदानन्द सिन्हा, फिल्म अभिनेता कादर खान एवं फिल्म निर्माता मृणाल सेन के देहावसान पर आसन द्वारा गहरी संवेदना व्यक्त की गयी तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गयी। इसके उपरांत बारी-बारी से सदन नेता, माननीय मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन, माननीय मंत्री, श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम, श्री अरुप चटर्जी, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता एवं श्री राज कुमार यादव द्वारा भी शोक-संवेदनायें व्यक्त की गयीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा विपक्ष की उपवेशिका में स्व० सदस्य, अनिल मुर्मू की तस्वीर पर होनेवाले माल्यार्पण के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति हेतु अनुरोध किया गया तत्पश्चात् दो मिनट का मौन रखा गया।

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक-18 जनवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

राँची,
दिनांक- 17 जनवरी, 2019 ई०।

महेन्द प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।